भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1815
27 जुलाई, 2022 के लिए प्रश्न

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रायोगिक योजना

1815. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ हिस्सों में खाद्यान्न के बदले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रायोगिक योजना आरंभ की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे सभी क्षेत्रों में क्या परिणाम रहे, जहां सरकार ने प्रायोगिक योजना पूरी कर ली है अथवा यह योजना चल रही है;
(ग) देश में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रायोगिक योजना आरंभ करने का क्या औचित्य है;
(घ) इस योजना से सरकार को क्या लाभ प्राप्त हुए हैं; और
(ड.) क्या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से खाद्यान्न नहीं खरीदे जाने वाले युग का सूत्रपात करने का एक साधन है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को खाद्यान्न प्रदान कराने के बजाय बैंक में सीधे खाद्य सब्सिडी के नकद अंतरण की एक स्कीम पहले से ही तीन संघ राज्य क्षेत्रों नामतः चंडीगढ़ एवं पुदुच्चेरी में सितंबर, 2015 से एवं दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्र में मार्च, 2016 से पायलट आधार पर कार्यान्वित की गई है। इन संघ राज्य क्षेत्रों के लाभार्थियों को खाद्यान्न के बदले में नकद अंतरण प्राप्त हो रहा है जिसका उपयोग वे खुले बाजार से अपनी पसंद के खाद्यान्न की खरीद के लिए करते हैं।

(ग): प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के प्रयोग का लक्ष्य (i) खाद्यान्नों के अत्यधिक वास्तविक संचलन की आवश्यकता को कम करना (ii) लाभार्थियों को उनके उपभोग की वस्तुएं चुनने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करना (iii) आहार विविधता को बढ़ाना (iv) लीकेज को कम करना (v) बेहतर लक्षित करने की सुविधा प्रदान करना (vi) वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना है।

.....2/-

(घ): जी हाँ। चयनित क्षेत्रों में, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की पायलट स्कीम में खरीद प्रासंगिक खर्चों, हैंडलिंग, भंडारण, संचलन, वितरण और अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय पर कोई लागत वहन नहीं होने के कारण बचत हुई है।

(ड.): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत दिनांक 21.08.2015 को अधिसूचित खाद्य राजसहायता का नकद अंतरण नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, खाद्य सब्सिडी स्कीम का नकद अंतरण स्कीम क्रियान्वित की जाती है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र परिवारों के बैंक खातों में सीधे नकद खाद्य सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है, ताकि वे खुले बाजार से खाद्यान्नों की पात्र मात्रा की खरीद कर सकें। पहचान किए गए क्षेत्रों में यह स्कीम, लाभार्थियों के डेटाबेस के पूर्ण डिजिटीकरण और डि-डुप्लीकेशन, डिजिटिकृत लाभार्थी डेटाबेस में बैंक खाते के विवरण को जोड़े जाने और खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता जैसी क्रियान्वयन की इसकी तैयारी के बारे में कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन, चलाई जा सकती है। नियमों के अधीन पहचान किए गए क्षेत्र को राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र या राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के अंदर किसी विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके लिए स्कीम के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की लिखित सहमति होती है। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह वैकल्पिक है कि वे उचित दर दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खाद्यान्नों का वितरण जारी रखें अथवा खाद्य राजसहायता के नकद अंतरण की स्कीम को क्रियान्वित करें।

*****